

बिजली चोरी में दुबारा पकड़ा गया महाराज सिंह, जेल

- अराधक नगर का मामला
- महाराज सिंह साल भर के अंदर दुबारा बिजली चोरी में पकड़ा गया
- कुल 2.25 लाख से अधिक का जुर्माना

नई दिल्ली, 6 दिसंबर, 2007। बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने उसी व्यक्ति को दुबारा बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है, जिसे पिछले साल भी भारी मात्रा में बिजली चोरी करते पकड़ा था। हालांकि पिछली बार के मुकाबले, इस बार वह कम मात्रा में बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा गया है, लेकिन बिजली चोरी की उसकी आदत को देखते हुए बीवाईपीएल ने उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। और, कोर्ट ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है।

अराधक नगर निवासी महाराज सिंह के घर पहली बार, अगस्त 2006 में छापा पड़ा था, जब उसे करीब 7 किलोवॉट बिजली की सीधी चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। वह पास से गुजर रही बीएसईएस व तार पर कंटिया डालकर घरेलू उद्देश्यों के लिए बिजली चोरी कर रहा था। बिजली चोरी के जुर्म में उस पर 2, 10, 206 रुपये का जुर्माना किया गया था। हालांकि उसने जुर्माने की रकम अदा नहीं की। यह मामला स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन है।

इस बार, 11 सितंबर, 2007 को, एक गुप्त सूचना के आधार पर बीवाईपीएल ने फिर महाराज सिंह के घर छापा मारा। हालांकि जिस वक्त छापा पड़ा था, उस वक्त वह सिर्फ करीब 1. 876 किलोवॉट बिजली चोरी कर रहा था। बिजली कानून के हिसाब से, इसके लिए उस पर 19, 221 रुपये का जुर्माना किया गया। पहली बार की तरह इस बार भी, उसने तय समय सीमा के भीतर जुर्माने की रकम जमा नहीं कराई।

बिजली चोरी की उसकी आदत को देखते हुए बीवाईपीएल ने महाराज सिंह के खिलाफ निकटवर्ती सीमापुर पुलिस थाने में एफआईआर (571/2007) दर्ज कराई। पुलिस हरकत में आई और महाराज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उसे बिजली की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जज ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।

इस बीच, बीएसईएस ने बिजली चोरी के 6500 मामले तीन स्पेशल कोर्ट्स में दर्ज कराए हैं और 2000 बिजली चोरों को जेल भेजा जा चुका है। इन लोगों ने कुल 2400 दिन जेल में गुजारे हैं।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करके बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।